

राजस्थान - सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

क्रमांक/राजस्व/कॉर्ट/2025/701

दिनांक :- 29-12-25

- : आदेश : -

श्रीमान शासन उप सचिव, राजस्व (गुप-6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प3(2)राज.-6/2003/पार्ट दिनांक 10.08.2016 एवं प.3(17)राज.-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के अनुसरण में प्रदत्त दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित "ग्रामीण सेवा शिविर फॉलोअप कैम्प" में चालू, सनातन, कदीमी एवं स्थाई रास्तों के राजस्व रैकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती करवाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 के अधीन तहसीलदार लूणी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/4151 दिनांक 23.12.2025 के संलग्न प्रेषित सूची अनुसार प्रारूप में रास्ते हेतु राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	नाम पटवार मण्डल	नाम राजस्व ग्राम	प्रभावित होने वाले खसरा की संख्या	प्रभावित होने वाले निम्नानुसार खसरे	खसरे में से प्रभावित होने वाला रकबा हैक्टेयर
1	2	3	4	5	6
1.	गुड़ा विश्नोईयान	गुड़ा विश्नोईराईकान	1	751	0.0378
2.	गुड़ा विश्नोईयान	गुड़ा विश्नोईराईकान	1	751/6	0.0438
3.	गुड़ा विश्नोईयान	गुड़ा विश्नोईराईकान	1	751/5	0.0474
4.	गुड़ा विश्नोईयान	गुड़ा विश्नोईराईकान	1	751/4	0.0412
5.	गुड़ा विश्नोईयान	गुड़ा विश्नोईराईकान	1	751/3	0.0461
6.	गुड़ा विश्नोईयान	गुड़ा विश्नोईराईकान	1	751/8	0.0366
7.	गुड़ा विश्नोईयान	गुड़ा विश्नोईराईकान	1	751/2	0.0186
8.	गुड़ा विश्नोईयान	गुड़ा विश्नोईराईकान	1	751/1	0.0770
9.	गुड़ा विश्नोईयान	गुड़ा विश्नोईराईकान	1	751/7	0.0796

उक्त प्रस्तावित भूमि का पृथक से खसरा नम्बर कायम कर किस्म "गैर मुमकिन रास्ता" दर्ज की जायेगी, किन्तु भूमि निजी खातेदारी में होने की सूरत में पूर्ववत निजी खातेदारी में रहेगी तथा नक्शे में रास्ते की भूमि का लाल स्याही से अंकन किया जावे। उक्त कार्यवाही नामान्तरकरण प्रक्रिया के जरिये संपादित की जाकर तहसीलदार लूणी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। प्रस्तावों के संलग्न तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित प्रस्तावित नक्शे इस आदेश के अभिन्न अंग रहेगे।

संलग्न :- प्रपत्र व नक्शा ट्रेस।

(हंसमुख कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी लूणी  
जिला जोधपुर

दिनांक :- 29-12-25

क्रमांक/राजस्व/कॉर्ट/2025/702-704

प्रेषित :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. तहसीलदार लूणी को पालनार्थ प्रेषित है।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी लूणी  
जिला जोधपुर

